अध्याय–3
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन

3.1 प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) में राज्य सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2013 तक 17 पीएसयू (सभी कार्यशील) थे, जिनमें 15 सरकारी कम्पनियाँ[1] एवं दो सांविधिक निगम[2] सम्मिलित थे। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज नहीं थी। 31 मार्च 2013 तक पीएसयू में निवेश ₹ 28,043.99 करोड़ था।

3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से की जाती है। धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत सरकार द्वारा धारण किया जाता है। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायिका को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कम्पनी जिसमें प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत किसी भी योग में सरकार, सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारण किया जाता है कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अनुसार सरकारी कम्पनी (मानित सरकारी कम्पनी) ही मानी जाएगी।

राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। दो सांविधिक निगमों में से नि.म.ले.प. दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। दिल्ली वित्त निगम के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन चार्टर्ड अकाउण्टैन्ट्स द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा आयोजित की जाती है।

3.3 राज्य पीएसयू में निवेश

31 मार्च 2013 तक 17 पीएसयू में निवेश ₹ 28,043.99 करोड़ था, जो **तालिका 3.1** में दिया गया है:

---

[1](i) दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक, विक्लांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड (ii) दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (iii) शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (iv) दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (v) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (vi) इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (vii) प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (viii) डी एस आई आई डी सी एनर्जी लिमिटेड (ix) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (x) दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम लिमिटेड (xi) जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (xii) डी एस आई आई डी सी मेनटीनेन्स सार्विसेज लिमिटेड (xiii) डी एस आई आई डी सी एक्जिम लिमिटेड (xiv) डी एस आई आई डी सी लिकर लिमिटेड (xv) दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम

[2](i) दिल्ली वित्तीय निगम और (ii) दिल्ली परिवहन निगम

तालिका 3.1
पीएसयू में निवेश

(₹ करोड़ में)

	संख्या	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
सरकारी कम्पनियाँ	15	7,607.72	6,659.96	14,267.68
सांविधिक निगम	2	2,010.09	11,766.22	13,776.31
कुल	**17**	**9,617.81**	**18,426.18**	**28,043.99**

राज्य पीएसयू में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति ***अनुलग्नक 3.1*** में दी गई है।

31 मार्च 2013 तक, राज्य पीएसयू में कुल निवेश में 34.30 प्रतिशत पूँजी के लिए और 65.70 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के लिए था। पूँजी निवेश 2008-09 में ₹ 6,545 करोड़ से 46.94 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 9,617.81 करोड़ हो गया जबकि ऋण निवेश 2008-09 में ₹ 8,910.50 करोड़ से 106.79 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 18,426.18 करोड़ हो गया, जैसा कि निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है:

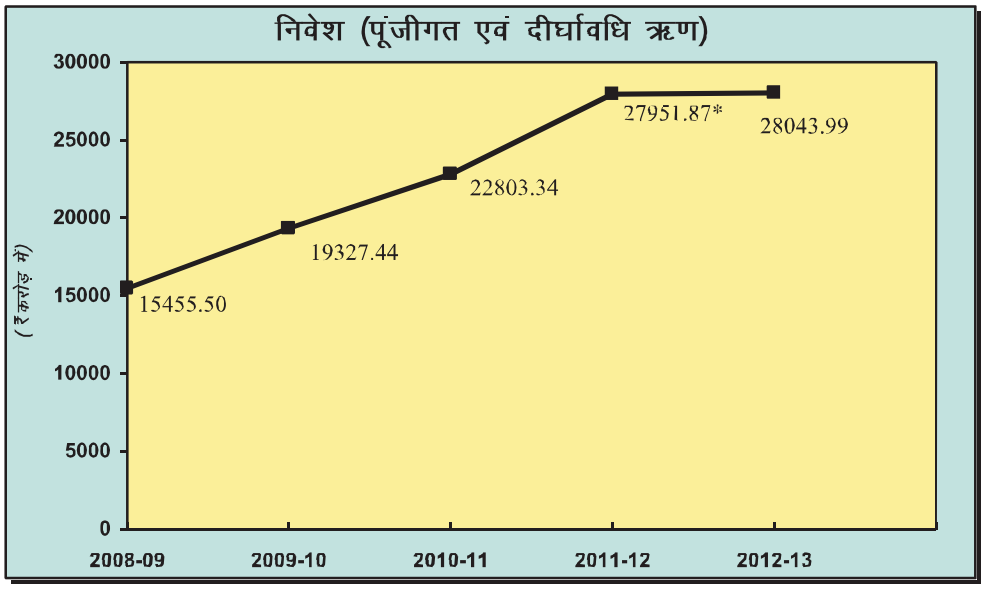

** लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर परिवर्तित आँकड़े।*

31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2013 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है।

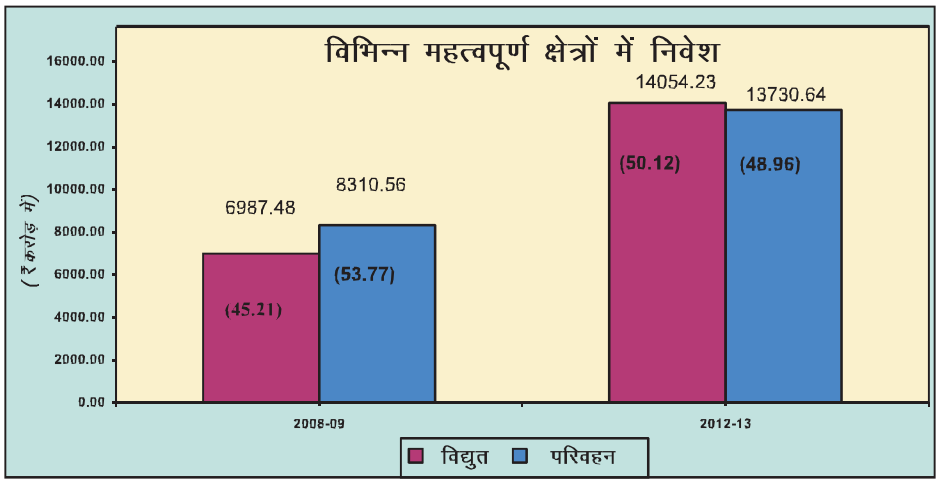

* *लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर परिवर्तित आँकड़े।*

पीएसयू में निवेश पर जोर परिवहन तथा विद्युत क्षेत्रों में था। परिवहन क्षेत्र में निवेश 2008-09 में ₹ 8,310.56 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 13,730.64 करोड़ हो गया। कुल निवेश में इसका प्रतिशत अंश 53.77 प्रतिशत (2008-09) से गिरकर 48.96 प्रतिशत (2012-13) हो गया। विद्युत क्षेत्र में, निवेश 2008-09 में ₹ 6,987.48 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 14,054.23 करोड़ हो गया, कुल निवेश में इसका प्रतिशत अंश 45.21 प्रतिशत (2008-09) से बढ़कर 50.12 प्रतिशत (2012-13) हो गया।

3.4 बजटीय व्यय, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारण्टी तथा ऋण

राज्य पीएसयू से संबंधित बजटीय व्यय से जारी की गई अंशदान, ऋणों, अनुदानों/आर्थिक सहायता एवं जारी गारण्टी और अंशदान में बदले गए ऋणों का विवरण ***अनुलग्नक 3.2*** में दिया गया है। 2012-13 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2

राज्य पीएसयू को बजटीय व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	बजट से अंशदान पूँजी व्यय	3	222.89	5	1,161.65	4	743.55
2.	बजट से दिया गया ऋण	1	2,128.60	5	1,196.36	4	770.00
3.	प्राप्त अनुदान/ आर्थिक सहायता	7	273.00	5	917.03	5	1271.40
4.	कुल व्यय[3] (1+2+3)	8	2,624.49	9	3,275.04	7	2784.95
5.	अंशदान में परिवर्तित ऋण	1	2,39.00	-	-	-	-

[3] पीएसयू की वास्तविक संख्या जिन्हें बजटीय सहायता प्राप्त हुई।

3.5 वित्तीय लेखों से मिलान

राज्य पीएसयू के अभिलेखों में बकाया अंशदान, ऋणों तथा गारण्टियों के आँकड़े राज्य के वित्तीय लेखों में दर्शाए गए आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो वित्त विभाग और सम्बन्धित पीएसयू को अन्तर का समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2013 तक की स्थिति **तालिका 3.3** में दी गई है:

तालिका 3.3
वित्तीय लेखों से मिलान

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
अंशदान[4]	8,581.24	8,601.16	(-) 19.92
ऋण[5] (3पीएसयू)	11,807.79	11,736.14	(-) 71.65

यह पाया गया कि छः[6] पीएसयू के संबंध में अंशदान और ऋण के आंकड़ों में अन्तर था और कुछ अन्तरों का समाधान पिछले पांच वर्षों से लम्बित था। सरकार व पीएसयू को एक समयबद्ध ढंग से अन्तरों का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

3.6 पीएसयू का निष्पादन

नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, के लिए सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को **अनुलग्नक 3.3** में दर्शाया गया है। 17 कार्यशील पीएसयू[7] जिनके लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त किए गए थे, में से नौ पीएसयू ने ₹ 1,029.17 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात पीएसयू को ₹ 2,543.67 करोड़ का घाटा हुआ और एक पीएसयू में न हानि न लाभ की स्थिति थी। लाभ में प्रमुखतः योगदान करने वाले दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 327.19 करोड़), प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 321.91 करोड़), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 195.42 करोड़), इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 139.44 करोड़) और दिल्ली पर्यटन व यातायात विकास निगम लिमिटेड (₹ 33.69 करोड़) थे। दिल्ली परिवहन निगम (₹ 2,431.07 करोड़) तथा दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (₹ 112.48 करोड़) को भारी घाटा हुआ।

नि.म.ले.प. के पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा से पता चलता है कि राज्य पीएसयू को लगभग ₹ 1,448.04 करोड़ की हानि हुई जिन्हें बेहतर प्रबन्धन से नियंत्रित किया जा सकता था तथा जिसमें से ₹ 182.89 करोड़ (एक निष्पादन लेखापरीक्षा और सात पैराग्राफ) चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबन्धित है। वर्षवार विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

---

[4] अंशदान आंकड़े में केवल राज्य सरकार का अंश सम्मिलित है।

[5] ऋण आंकड़ों कम्पनियों के अभिलेखों से लिए गए थे और उनका मिलान पी ए ओ से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया था।

[6] कम्पनियों के लिए चार पी ए ओ में से 3 कम्पनियों के संबंध में दो पी ए ओ की सूचना प्राप्त की गई थी। शेष आंकड़े प्रतीक्षित थे।

[6] अनुलग्नक 3.1 में क्रम सं. 2,3,11,15 और 17 पर कम्पनियों के अंशदान के आँकड़े तथा क्रम सं. 10,15 और 17 पर कम्पनियों के ऋणों के आंकड़े।

[7] वर्ष 2003-04 के लिए (एक पीएसयू); 2010-11 के लिए (एक पीएसयू); 2011-12 के लिए (एक पीएसयू); 2012-13 के लिए (14 पीएसयू)

तालिका 3.4
पीएसयू की नियंत्रित किए जाने योग्य हानियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार हानि जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता था।	5.80	1,259.35	182.89

नौ[8] पीएसयू ने उनके नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 1,029.17 करोड़ का लाभ अर्जित किया परन्तु दो कम्पनियों अर्थात् डीएसआईआईडीसी और डीटीटीडीसी ने क्रमशः ₹ 2.46 करोड़ और ₹ 0.63 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

3.6.1 दो विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनियों (डिस्कॉम्स) अर्थात् बीएसईएस- राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) एवं बीएसईएस-यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल) अप्रैल 2007 एवं उसके आगे से विद्युत उत्पादन कम्पनियों- इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) एवं प्रगति पावर कम्पनी लिमिटेड (पीपीसीएल) से विद्युत का क्रय कर रही थीं। समझौते के अन्तर्गत नियमन के लिए भुगतान प्रतिभूति क्रियाविधि को लागू करने अथवा समय पर नोटिस जारी करने में इन कम्पनियों की विफलता के परिणामस्वरूप मार्च 2013 तक बकाया देयों का संचयन लगभग ₹ 2,454.89 करोड़ (पीपीसीएल ₹ 1,229.37 करोड़ तथा आईपीजीसीएल ₹ 1,225.52 करोड़) था।

3.7 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कम्पनी अधिनियम 1956 के धाराओं 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कम्पनियों के लेखों को सम्बन्धित वित्त वर्ष के अंत से छः महीनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 30 सितम्बर 2013 को कार्यशील पीएसयू के लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है:

तालिका 3.5
लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यशील पीएसयू की संख्या	12	12	13	17	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	11	14	11	12	21
3.	बकाया में लेखों की संख्या	11	9	11	16	12
4.	प्रति पीएसयू औसत बकाए (3/1)	0.92	0.75	0.85	0.94	0.71
5.	कार्यशील पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	3	3	4	8	3[9]
6.	बकायों का विस्तार	1 से 9 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष	1 से 9 वर्ष

[8] अनुलग्नक 3.3 में क्रम सं. 1,2,5,6,7,9,10,11 एवं 16।

[9] अनुलग्नक 3.3 का क्रम सं. 1,15 एवं 17। पीएसयू के संदर्भ में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए लेखे क्रमशः क्रम संख्या 15 व 17 पर, यद्यपि सितम्बर 2013 में प्राप्त किए गए लेखों को 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दिया जाना था।

2008-09 में प्रति कार्यशील पीएसयू बकाया खातों की औसत संख्या 0.92 से घटकर 2012-13 में 0.71 हो गई। एक पीएसयू अर्थात् दिल्ली अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नौ वर्षों के खातों का बृहत अवशिष्ट कार्य था। अन्य पीएसयू के पास 30 सितम्बर 2013 तक केवल एक से दो वर्षों के लेखों का बकाया था।

राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान तीन पीएसयू में ₹ 1,133.24 करोड़ (अंशदानः ₹ 229.43 करोड़, ऋणः ₹ 112.49 करोड़ और अनुदान/आर्थिक सहायताः ₹ 791.32 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखों को अभी अंतिम किया जाना शेष था, जिसका विवरण **अनुलग्नक 3.4** में दिया गया है। खातों की अनुपलब्धता और तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश व उसमें हुए व्यय को समुचित लेखों में सम्मिलित कर लिया गया है तथा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि का निवेश किया गया है वह पूर्ण हुआ है या नहीं। इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

प्रशासकीय विभागों पर इन निकायों की गतिविधियों की निगरानी का तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है कि लेखों को इन पीएसयू द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अंतिम रूप दिया और अंगीकृत किया जाए। परिणामस्वरूप इन पीएसयू के निवल मूल्य का आकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के द्वारा एक समयबद्ध ढंग से बकाया लेखों के शीघ्र निपटान हेतु लेखों को अंतिम रूप देने के मामले को प्रतिमाह प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के साथ उठाया जाता है। दिसम्बर 2013 में इस मामले को प्रमुख सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी उठाया गया।

3.8 लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण

15 कार्यशील कम्पनियों ने अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान अपने 20 लेखापरीक्षा किए गए लेखों को अग्रेषित किया। इनमें से 11 लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए और नौ लेखों को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु चुना गया था। इसी प्रकार, दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान अपने तीन लेखों को अग्रेषित किया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है:

तालिका 3.6

सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य

(₹ करोड़+ में)

क्र. सं.	विवरण	कम्पनी				निगम			
		2011.12		2012.13		2011.12		2012.13[10]	
		खातों की संख्या	धन राशि	खातों की संख्या	धन राशि	खातों की संख्या	धन राशि	खातों की संख्या	धन राशि
1.	लाभ में कमी	3	10.68	2	2.98	1	0.10	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	1	47.55	4	66.76	-	-	1	0.01
3.	हानि में वृद्धि	1	220.31	1	850.59	1	11.34	1	549.70
4.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर न करना	-	-	4	1,328.86	-	-	2	10.71
5.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	2	22.71	2	7.30	2	18.68	-	-

[10] लेखाओं पर टिप्पणियों का प्रभाव दिल्ली परिवहन विभाग के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 के लिए है तथा दिल्ली वित्त निगम के सम्बन्ध में वर्ष 2012–13 के लिए।

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 12 लेखों को बिना-शर्त प्रमाणपत्र और आठ लेखों को सशर्त प्रमाणपत्र प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त नि.म.ले.प. ने पूरक लेखापरीक्षा के बाद तीन लेखों को सशर्त प्रमाणपत्र, सात लेखों को बिना-शर्त प्रमाणपत्र और नौ लेखों को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र प्रदान किया। एक लेखा अर्थात् दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) को वर्ष 2011-12 के लिए 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दिया जाना था। वर्ष के दौरान लेखा मानकों के अनुपालन न होने के नौ दृष्टान्त थे।

इसी प्रकार, दो निगमों के तीन लेखों में से दिल्ली वित्त निगम ने सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं नि.म.ले. प. से सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। दिल्ली परिवहन निगम के संबंध में जहाँ नि.म.ले.प. एक मात्र लेखापरीक्षक है, इसने वर्ष 2011-12 के लिए सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया और वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा कार्य प्रगति (नवम्बर 2013) पर था। दो निगमों में लेखा मानकों के अनुपालन न होने के पाँच दृष्टान्त थे।

वर्ष 2012-13 के दौरान जिन कम्पनियों एवं निगमों के लेखों को अंतिम रूप दिया गया उनके संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ **तालिका 3.7** में दी गई है:

तालिका 3.7
कम्पनियों एवं निगमों के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	लेखा का वर्ष	टिप्पणी का सारांश
आईपीजीसीएल[11]	2012-13	कम्पनी ने प्रकट नहीं किया कि • टाटा पॉवर दिल्ली वितरण लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष **2011 –12** के लिए उत्पादन व्यापार पर आय के लिए आयकर की प्रतिपूर्ति के ₹ **30.35** करोड़ के दावा का विरोध किया और डीईआरसी के समक्ष एक याचिका भी दायर किया था। • इसके निदेशक परिषद ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अनुमोदन के आधार पर प्रस्तावित किया कि राजघाट पॉवर हाउस **31** मार्च **2013** के बाद पाँच वर्षों के लिए परिचालन जारी रखेगा।
पीपीसीएल[12]	2012-13	कम्पनी ने यह प्रकट नहीं किया कि भुगतान के लिए डीईआरसी आदेश के बावजूद दो डिस्कॉम्स के द्वारा कम्पनी के ऊर्जा बिलों ₹ 1229.37 करोड़ के पुनर्भुगतान में डिफाल्ट किया गया और साखपत्र का नवीनीकरण भी नहीं किया गया था।
निगम का नाम	**लेखा का वर्ष**	**टिप्पणी का सारांश**
डीएफसी[13]	2012-13	कम्पनी ने बीमांकिक आधार पर निर्धारण करने के बजाय वर्ष **2012 –13** के लिए पेंशन ट्रस्ट को भुगतान हेतु पेंशन देयताओं के लिए तदर्थ आधार पर **1.00** करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(अ) के अन्तर्गत उन्हें नि.म.ले.प. द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर अपना विस्तृत प्रतिवेदन

[11]इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरे'ान कम्पनी लिमिटेड
[12]प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
[13]दिल्ली वित्त निगम

प्रस्तुत करना चाहिए और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो उनकी पहचान करना अपेक्षित है। दस कम्पनियों[14] के सम्बन्ध में वर्ष 2012-13 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों का निदर्शी सारांश **तालिका 3.8** में दिया गया है:

तालिका 3.8
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ सिफारिशें की गई थीं	अनुलग्नक 3.3 के अनुसार कम्पनियों की क्रम सं. का संदर्भ
1.	भण्डार और अतिरिक्त वस्तुओं की न्यूनतम/अधिकतम सीमाओं का निर्धारण न होना	4	क -2, 5, 6 व 7
2.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र का न होना	6	क -1, 2, 5, 6, 8 व 9
3.	परिमाणात्मक विवरण, स्थितियों, पहचानसंख्या, प्राप्तियों की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन के बाद मूल्य और उनकी अवस्थिति दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना	4	क - 1, 2, 8 व 9

3.9 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

वर्ष 2012-13 के लिए दिल्ली परिवहन निगम के लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में ₹ 50.73 लाख की वसूलियों को इंगित किया गया था जिसमें से ₹ 1.13 लाख धनराशि की ही वसूली की गई।

3.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की स्थिति

वर्ष 2011-12 के लिए नि.म.ले.प. द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के लेखों पर जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प्र.) जो कि सरकार को जारी (अप्रैल 2013) किया गया था उसे विधायिका में अगस्त 2013 में प्रस्तुत किया गया।

3.11 पीएसयू का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान किसी राज्य पीएसयू के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन का कार्य अपने हाथों में नहीं लिया था।

[14]अनुलग्नक–3.3 में क्र. सं– 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 11